7.10.24 पत्राव[illegible] बहस पेश की गई। बहस
वकील वादी द्वारा
सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश,
दिनांक 5.11.24 को पेश हो।

5.11.24 पत्रावली पेश। वकील वादी उप। पत्रावली
मे वाद वादीगण द्वारा स्वीकार करने योग्य है।
वाद स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक
से लिखवाया जाकर शा.पत्रा. किया गया।
पत्रावली तकमीली नम्बर से कम की जाकर
दाखिल दफ्तर हो।

इजलास रामावतार मीणा आर.ए.एस.उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा राज

तारीख दायरा दिनांकः—

प्रकरण संख्या-14/2023

निर्णय दिनाक - 05/11/2024

उनवान

बनवारी लाल नागर पुत्र माधो लाल जाति धाकड निवासी श्यामपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा हाल निवासी सुमन चिल्ड्रन स्कूल की गली बाला कुन्ड कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान । वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा राजस्थान । प्रतिवादी

दावा बाबत धारा 88,89,209 राजस्थान काश्तकारी कानून 1955

सपठित धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

उपस्थितः—श्री मोहनलाल पोटर एडवोकेट वादी की ओर से

श्री पेरोकार सरकार प्रतिवादी की ओर से

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हे कि माल ग्राम श्यामपुरा पटवार हल्का श्यामपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान की खाता सख्या नई 83 पुरानी 97खसरा नम्बर 732 रकबा 0.01 हे.खसरा नम्बर 733 की 0.01 हे.,खसरा नम्बर 748 की 0.12 हे.खसरा नम्बर 848 की 0.12 हे.कुल किता 4 की 0.26 हेक्टर व खाता सख्या नई 58पुरानी 58खसरा नम्बर 734 रकबा 2.54हें.कुल किता 1 की 2.54 हेक्टर व खाता सख्या नई 59पुरानी 57 खसरा नम्बर 634 की 1.89 हे. व माल ग्राम नाहरिया पटवार हल्का नाहरिया की खाता सख्या नई 197 पुरानी 188खसरा नम्बर 565 की 0.15 हे. कुल किता 1 की 0.15 हेक्टर आराजी वादी को विरासत मे वादी के माधोलाल जी के मृत्यु के बाद प्राप्त हुई हे वादी का नाम फोती इन्तकाल मे पटवारी हल्का को गाव मे बोलने वाला नाम अधिकार अभिलेख मे रमेश चन्द्र ही दर्ज कर दिया जबकि वादी का सही नाम जो वादी के आधार कार्ड,जन आधार,राशन कार्ड, बैंक पास बुक ,पेन कार्ड इत्यादि मे वादी का नाम बनवारी लाल नागर पुत्र माधो लाल जाति धाकड निवासी श्यामपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा हाल निवासी सुमन चिल्ड्रन स्कूल की गली बाला कुन्ड कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान दर्ज हे, वादी का नाम वाद पत्र की मद नं. 1 मे

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

आधार ओर अन्य रेकार्ड के अनुसार 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हे तथा वादी ने प्रतिवादी को बालिग होने के दस्तावेज देने पर भी बालिग दर्ज नही किया वादी ने मेड बन्दी के लिए आनलाईन आवेदन करने ईमित्र कियोस्क पर गया तो ईमित्र कियोस्क संचालक ने खाते मे नाम सही करवाने की कही इसके वाद वादी ने प्रतिवादी से निवेदन किया लेकिन आज तक वादी का नाम सही नही किया इस कारण से वादी ने वाद पत्र पेश किया गया उक्त सभी खातो मे वादी का गलत नाम रमेश चन्द्र पुत्र माधो व माधोलाल जाति धाकड निवासी श्यामपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान वादी के अशुद्व नाम को बदलकर शुद्व नाम बनवारीलाल नागर पुत्र माधोलाल जाति धाकड निवासी श्यामपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा हाल निवासी सुमन चिल्ड्रन स्कूल की गली बाला कुन्ड कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान दर्ज हे सही करवाना ही वाद पत्र की विषय वस्तु हे, वाद कारण दिनांक 20/1/2023 को वादी का नाम सही नही करने ओर नाबालिक से बालिग नही करने से उत्पन्न हुआ हे नही करने के कारण से वाद पत्र प्रस्तुत करने का वाद कारण उत्पन्न हुआ हे, विवादित आराजी माल ग्राम श्यामपुरा व नाहरिया तह. सांगोद जिला कोटा राज.मे स्थित होने से वाद का श्रवणधिकार व क्षैत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है,वाद पत्र माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत कर निवेदन हे कि वादी के पक्ष मै व प्रतिवादी के विरूद्व निम्न आशय की घोषणा कर इन्द्राज दुरस्त कर डिकी सादिर पारित फरमाई जावे उक्त आराजी मे वादी का नाम रमेशचन्द्र पुत्र माधो व माधोलाल जाति धाकड निवासी श्यामपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान वादी के अशुद्व नाम को शुद्व नाम बनवारीलाल नागर पुत्र माधोलाल जाति धाकड निवासी श्यामपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा हाल निवासी सुमन चिल्ड्रन स्कूल की गली बाला कुन्ड कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान दर्ज करने की कृपा करे इत्यादि पर वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी की गई प्रतिवादी ने जवाब व रिपोर्ट पेश की तथा राज हित प्रभावित नही होना स्वीकार किया पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व ग्राम पंचायत के लेटर पेड के आधार पर वादी के वाद पत्र व दस्तावेजात से व प्रतिवादी के जवाब दावे से यह जाहिर होता हे वादी के वाद पत्र मे जो कथन किये हे वह सत्य प्रतीत होते ऐसी स्थिति मे वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होने से अन्तिम रूप से स्वीकार कर डिक्री किया जाता हे एवं आदेश दिया जाता हे कि माल ग्राम श्यामपुरा पटवार हल्का श्यामपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान की खाता सख्या नई 83 पुरानी 97खसरा नम्बर 732 रकबा 0.01 हे.खसरा नम्बर 733 की 0.01 हे.,खसरा नम्बर 748 की 0.12 हे.खसरा नम्बर 848 की 0.12 हे.कुल किता 4 की 0.26 हेक्टर व खाता सख्या नई 58पुरानी 58खसरा नम्बर 734 रकबा 2.54हें.कुल किता 1 की 2.54 हेक्टर व खाता सख्या नई 59पुरानी 57 खसरा नम्बर 634 की 1.89 हे. व माल ग्राम नाहरिया पटवार हल्का नाहरिया की खाता सख्या नई 197 पुरानी 188खसरा नम्बर 565 की 0.15 हे. कुल किता 1 की 0.15 हेक्टर आराजी मे वादी के अशुद्व नाम को शुद्व नाम बनवारीलाल नागर उर्फ

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

रमेशचन्द्र पुत्र माधोलाल जाति धाकड निवासी श्यामपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा हाल निवासी सुमन चिल्ड्रन स्कूल की गली बाला कुन्ड कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान सही करने का आदेश दिया जाता हे तदनुसार डिकी पर्चा प्रथक से जारी की जावे पत्रावली नम्बर से कम कर दाखिल दफतर की जावे

निर्णय आज दिनांक 05/11/25 को खुले न्यायालय मे मेरे हस्ताक्षर ओर कार्यालय मुद्रा से लिखाया जाकर सुनाया गया।

कार्यालय मुद्रा

उपखण्ड अधिकारी
रामावतार मीणा आर.ए.एस
साँगोद जिला कोटा
उपखण्ड अधिकारी सांगोद